लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
078/2024(सू.अ.) (GCMS 2024/323)	30-10-2024	19-11-2024

टनवान

बाबुलाल टेलर निवासी ए 101 गांधीनगर सेक्टर नंबर 5 चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़

अपीलार्थी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 29.08.2024 को प्रस्तुत किया, उक्त आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील अपीलार्थी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर न्यायालय के पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./078/2024(सू.अ.) (19.11.2024)/738 दिनांक 30.10.2024 से अपील मेमो एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये आगामी पेशी दिनांक से पूर्व अपील मेमो एवं आवेदन के संबंध में बिन्दुवार कमेंट्स/टिप्पणी हेतु लिखा गया एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड सूचना–पत्र से नियत दिनांक को अपील के संबंध में अपना पक्ष रखने एवं सुनवाई हेतु सूचित किया गया।

दिनांक 19.11.2024 अपील अपीलार्थी हाजिर रहे एवं लिखित अभिवचन प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली होकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रिकार्ड पर है। सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ से पत्रांक/रीडर/आरटीआई/2024/162 दिनांक 18.11.2024 से बिन्दुवार टिप्पणी/ कमेंट्स प्राप्त हुये जो कि शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर हैं, इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली हैं।

अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ से प्राप्त टिप्पणी/कमेंट्स निम्नानुसार हैं :–

1. प्रार्थी श्री बाबुलाल टेलर के द्वारा कार्यालय हाजा में आदेन क्रमांक 111 दिनांक 02.09.2022 के सूचना चाही गई थी, जो कि आवेदक को पत्र क्रमांक/रीडर/आरटीआई/2022/115 दिनांक 01.10.2022 को रजिस्टर्ड डाक जरिये उपलब्ध कराई गई।
2. प्रार्थी द्वारा श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, चित्तौड़गढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसके पत्र क्रमांक/सरिश्ता/प्र.सं./072/2022(सू.अ.)(19.10.2022) दिनांक 10.10.2022 के द्वारा मय प्रतिलिप प्रत्युत्तर/जवाब प्रस्तुत किया गया। (प्रति संलग्न है।)
3. प्रार्थी श्रीमान् लोक सूचना अधिकारी (जिला कलक्टर) महोदय चित्तौड़गढ़ के द्वारा इस कार्यालय को पुनः स्मरण पत्र पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2022/129 दिनांक 12.12.2022 को पत्र प्रेषित किया गया। (प्रति संलग्न)
4. उपखण्ड अधिकारी महोदय, भदेसर के आदेश क्रमांक/सरिश्ता /इजराय/103/2022 दिनांक 20.07.2022 से प्रकरण संख्या 120/2020 में पारित निर्णय की पालना बाबत् कार्यालय हाजा से उप तहसीलदार भादसौडा को आदेशित यिका गया जिसके संबंध में उप तहसीलदार भादसौडा के द्वारा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट संलग्न हैं।
5. उक्त बिन्दु की सुचना श्रीमान् को इस कार्यालय के द्वारा के सूचना उपलब्ध करवाई जाकर श्रीमान् को प्रतिलिपि प्रेषित की गई जो संलग्न पत्र है।

अतः अपील अपीलार्थी द्वारा श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत आवेदन/अपील के अनुसार पूर्व में ही समस्त सूचनाये उपलब्ध करवाई जा चुकी हैं, जिसकी प्रमाणित प्रति पुनः संलग्न होकर सादर प्रस्तुत हैं तथा अपीलार्थी के द्वारा जाहिर की गई समस्या सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित नहीं होकर माननीय न्यायालय से संबंधित हैं, जिसकी पालना न्यायालय के उचित आदेशों से की जाना अपेक्षित हैं होने के कारण इस कार्यालय स्तर से कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती हैं।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इसके साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां प्रेषित की गई है जो कि शामिल पत्रावली है। हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलार्थी की और से प्रस्तुत लिखित अभिवचन का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। तथ्यों का चित्त मन से शांति पूर्वक चिंतन–मनन किया। हमने सूचना का अधिकार अधिनयम 2005 से मार्गदर्शन प्राप्त किया। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक : प.3(22)प्रसु/सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु संख्या 3 द्वारा प्रचारित किया गया है कि नागरिकों को किसी लोक प्राधिकारी से ऐसी सूचना मांगने का अधिकार है, जो उस लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध है या उसके नियंत्रण में है। इस अधिनियम में लोक प्राधिकारी के पास या नियंत्रण में उपलब्ध कृति, दस्तावेजों तथा रिकार्ड का निरीक्षण, नोट, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियॉ प्राप्त करना, सामग्री के प्रमाणित नमूने शामिल है, परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना का सृजन करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजदू है।

हमने अपीलार्थी सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेट्स/टिप्पणी में संदर्भित पत्रों की छाया प्रतियां का गहनता पूर्वक अध्ययन/अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2024 के संबंध में सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपने पत्रांक/रीडर/आरटीआई/2024/162 दिनांक 18.11.2024 से अपीलार्थी को आवेदन के संबंध में सूचित किया जाना अवगत कराया गया है। अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अप्राप्त होना जाहिर किया गया है। हमने अपीलार्थी के आवेदन पत्र दिनांक 29.08.2024 का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना के संबंध में सूचित किया जाना अवगत कराया गया है, किन्तु अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना अप्राप्त होना जाहिर यिका गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर को अपीलार्थी के आवेदन के संबंध में सूचना पुनः उपलब्ध कराये जाने के निर्देशों के साथ हस्तगत अपील का निस्तारण किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील के साथ प्रस्तुत अन्य तथ्यों का विवेचन एवं विश्लेषण हस्तगत अपील में किया जाना उचित नहीं है।

उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत हस्तगत प्रथम अपील अपीलार्थी/आवेदक का निस्तारण इन निर्देशों के साथ किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन से वांछित सूचना अधीनस्थ सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर अपीलार्थी को पुनः जरिये रजिस्टर्ड डाक के 10 दिवस में उपलब्ध करावें एवं पालना प्रतिवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत करावें।

निर्णय की प्रति सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार भदेसर जिला चित्तौड़गढ़ एवं अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क भिजवाई जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **19.11.2024** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official